ग्राम पंचायत ज्योली देवी, विकास खण्ड बिझडी, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना:**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ज्योली देवी, विकास खण्ड बिझडी, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :

प्रधान:

क्र॰ सं	नाम	अवधि
1	श्रीमति बबीता देवी	01/04/2014 से 22/01/2016
2	श्री जसवंत सिंह	23/01/2016 से लगातार।

सचिव:

क्र॰ सं	नाम	अवधि
1	श्री जैसी राम	01/04/2014 से 02/09/2014
2	श्री अमित कुमार	03/09/2014 से 19/09/2014
3	श्री संदीप कुमार	20/09/2014 से 12/12/2014
4	श्री जैसी राम	13/12/2014 से 31/03/2016
5	श्री नरेन्द्र शर्मा	01/04/2014 से 31/03/2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः

ग्राम पंचायत ज्योली देवी, विकास खण्ड बिझडी, के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्रम सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके कारण रोकड़ बही व बैंक खाते के अन्तशेष में अन्तर	0.20
2	6	हस्तगत राशि का दुरूपयोग व अस्थाई दुर्विनियोजन	0.24
3	8	बैंक में जमा राशि का रोकड़ बही में रख रखाव न करना	2.94
4	9	अनुदान का उपयोग न करना	11.96
5	12	निर्माण कार्यों में परिमाप राशि से अधिक भुगतान	0.02
6	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.58
7	14	बिना बिल के अनियमित भुगतान	1.54

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः

ग्राम पंचायत ज्योली देवी, विकास खण्ड बिझडी, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विद्या सागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01/12/2017 से 11/12/2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

अवधि	आय	व्यय
2014-15	03/2015	03/2015
2015-16	03/2016	09/2015
2017-17	02/2017	12/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत

व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:

ग्राम पंचायत ज्योली देवी, विकास खण्ड बिझडी, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹4800 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 577 दिनांक 01.12.2017 के द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्या 018062 दिनांक 13/12/2017 के द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गयाI

4 वितीय स्थिति:

ग्राम पंचायत ज्योली देवी, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:

(i) स्व स्त्रौत:

ग्राम पंचायत ज्योली देवी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	129449.50	123867.00	253316.50	1952.00	251364.50
2015-16	251364.50	48565.00	299929.50	16504.18	283425.32
2016-17	283425.32	89583	373008.32	51862.50	321145.82

(ii) अनुदान:

ग्राम पंचायत ज्योली देवी, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	849598.43	1188127.00	2037725.43	1279766.63	757958.80
2015-16	757958.80	1670716.00	2428674.80	1547536.96	881137.84
2016-17	881137.84	2468120.00	3349257.84	2153126.75	1196131.09

5 रोकड़ बही तथा बैंक खातों व हस्तगत राशि के दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष में ₹0.20 लाख का अन्तर

स्व स्त्रौतः

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष: ₹321145.82

अनुदानः

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष: ₹1196131.09

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में
दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष: ₹1517276.91

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में जमा राशि **₹1493543.91**

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि ₹3733.00

कुल योग ₹1497276.91

अन्तर (1517276.91-1497276.910)= ₹20000

बैंक खाता संख्या	राशि (₹)
GEN-A: PNB - 1713	297412.82
13t & 14th FC: PNB - 1722	740974.67
GEN-B: PNB - 9389	455156.42
MNREGA: PNB - 6377	0
कुल राशि	**₹1493543.91**

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा दिनांक 22/8/2014 को हस्तगत राशि ₹20000 को पंचायत सामान्य खाता-ख में जमा करवा दिया गया तथा पंचायत सामान्य खाता-ख की रोकड़ बही में इस राशि को आय के रुप में दर्शाया गया जो कि अनियमित है। अतः इस राशि को पंचायत सामान्य खाता-ख से निकालकर पंचायत निधि खाता-क में जमा करवाया जाए व तदानुसार रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 हस्तगत राशि ₹0.24 लाख का दुरुपयोग:

संस्था द्वारा पंचायत निधि खाता-क की रोकड़ बही में दिनांक 1/4/2014 को ₹23733 को इस अवधि से पहले तत्कालीन सचिव श्री अशोक कुमार जोकि अब सरकारी सेवा से बर्खास्त है के पास हस्तगत राशि के रुप में दर्शाया गया। इस राशि में से ₹20000 को वसूल करके दिनांक 22/8/2014 को पंचायत सामान्य खाता-ख में जमा करवा दिया गया तथा शेष बची ₹3733 को दिनांक 31/3/2017 को भी उपरोक्त पूर्व सचिव श्री अशोक कुमार के पास हस्तगत राशि के रुप में

पंचायत निधि खाता-क में नगद शेष दर्शाया गया है इस प्रकार हस्तगत राशि का दुरूपयोग व अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया है। अतः शेष बची हुई ₹3733 को नियमानुसार दंडनीय ब्याज सहित वसूल करके पंचायत निधि खाता-क में जमा करवाया जाए तथा इसके अतिरिक्त पहले वसूली गई ₹20000 पर भी नियमानुसार दंडनीय ब्याज की वसूली की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

7 निवेश:-

पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर अधिकतम ब्याज कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप-1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

8 बैंक में जमा ₹2.94 लाख का रोकड़ बही में रख रखाव न करना:-

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था के पास Micro Water Shed का पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या: 2200000100032611 की बैंक पास बुक थी जिस में बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 03/06/17 को ₹182756 जमा थी, तथा इसका रख-रखाब रोकड़ बही में नहीं किया गया जिस के कारण इस खाते से किए गए व्ययों की जांच नहीं की जा सकी।

इसी प्रकार कांगड़ा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बडसर खाता संख्या: 20011006965 की बैंक पास बुक पाई गई। जिस में बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 11/04/2017 को ₹111691 जमा थी। इस खाते की रख-रखाब की रोकड़ बही नहीं बनाई गई थी तथा यह खाता किस निधि से संबंधित है व खाते से संबंधित कोई अन्य जानकारी भी उपलब्ध नहीं करवाई गई जिस के कारण इस खाते से किए गए व्ययों की जांच नहीं की जा सकी। जोकि गंभीर अनियमितता है। अतः इस प्रकार ₹294447 (182756 + 111691) की राशि का रोकड़ बही में रख रखाव नहीं करना जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा

अब जांच करके वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए और रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी सूचित किया जाए । इस खाते से संबन्धित रोकड़ बही व संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

9 अनुदान ₹11.96 लाख का उपयोग न करना:

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1196131.09 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

10 निर्धारित फार्म में बजट प्राक्कलन तैयार न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। अतः निर्धारित फार्म में बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

11 शादी की पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹625 की कम वसूली:

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: PCH-HA(1) 8/2013-Marriage 8017-8106 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200/- (बी.पी.एल.परिवार ₹25/-) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400/- (बी.पी.एल.परिवार 50/-) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि माह 11/2016 से 03/2017 तक निम्न विवरणानुसार ₹625/- पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किए गए थे। अतः कम वसूली गई राशि का औचित्य स्पष्ट करें तथा इस राशि को अब उचित स्त्रोत से वसूल करके पंचायत की निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	नाम	शादी की दिनांक	पंजीकरण की दिनांक	पंजीकरण राशि (₹)

16/2016	श्री जस्विन्दर कुमार	10/10/16	7/11/16	25/-
17/2016	श्री विपिन कुमार	07/11/16	19.11.16	200/-
18/2016	श्री गोल्डी कौशल	19/10/16	18/11/16	200/-
19/2016	श्री विक्रमजीत	10/11/16	06/12/16	200/-
	कम वसूली गई राशि			**625**

12 निर्माण कार्यों की परिमाप राशि से ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान:

अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों में परिमाप राशि से ₹2240/- का अधिक भुगतान कर दिया गया था । परिमाप राशि से अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

कार्य का नाम	परिमाप राशि(Assessment Value)	कार्य पर कुल व्यय	अनियमित भुगतान	माप पुस्तिका /पृष्ठ
% additional MM Bhawan Aghar	36163	37729	1566	6580/14 to 17
Repair of Panchayat Ghar Angan	30000	30674	674	6580/ 70 to 72

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.58 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹57740 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र.स.	वाउचर संख्या	मास	सामग्री का विवरण	राशि
1	106	3/2015	एंगल,शीट आदि	16100

2	49	9/2015	सरिया	40102
3	54	9/2015	सरिया	1538
			कुल योग	**₹57740**

14 बिना बिल ₹1.54 लाख का भुगतान

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था ने वाउचर संख्या: 71 दिनांक 26/12/2016 द्वारा 10 स्ट्रीट लाइट्स के लिए 15356/- प्रति लाइट की दर से कुल ₹153560/-की राशि का भुगतान हिमऊर्जा को किया गया मगर इस भुगतान का बिल अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया इसकी केवल रसीद संख्या: 10297 दिनांक 28/12/2016 ही दिखाई गई जोकि आपत्तिजनक व अनियमित है जिस का औचित्य स्पष्ट करें तथा वांछित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

15 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का अधूरा रख रखावः-

सरकार द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई सामान के रूप मे अलग-अलग स्टॉक रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण रजिस्टरों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा स्टाक रजिस्टरों का रख रखाव तो किया जा रहा है परन्तु उसमें सम्पूर्ण विवरण जैसे सामग्री का मूल्य, आपूर्तिकर्ता का नाम व पता, वस्तु की मात्रा तथा उस से सम्बन्धित गारन्टी इत्यादि को दर्ज नहीं किया जाता है। सामग्री की शेष मात्रा का प्रगतिशील योग भी नहीं किया गया है। अतः भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग-अलग स्थाई व अस्थाई स्टाक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग-अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16 आय की प्राप्ति हेतु जारी रसीद बुक से एक रसीद कम परिणामस्वरूप आय के गबन/दुर्विनियोजन की सम्भावना:-

अंकेक्षण में जांच के दौरान पाया गया कि मास 3/2015 में आय की रसीद संख्या 251892 संबंधित रसीद बुक में नहीं पाई गई जो कि आपत्तिजनक है जिसके कारण दुर्विनियोजन

की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। जिसका औचित्य स्पष्ट करें तथा इसकी जांच करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखा व किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।

18 प्रत्यक्ष सत्यापन:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह् बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 **लघु आपति विवरणिका:**-संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

20 **निष्कर्ष:**-संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)49/2018 खण्ड–1–3305–3308 दिनांक 11.05.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बिझड़ी जिला हमीरपुर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत ज्योली देवी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881